



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271537  
CG-DL-E-02042026-271537

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1650]

नई दिल्ली बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1650]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

(आयकर)

का.आ. 1715(अ).—जबकि आय पर कर के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राज वित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए, भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार के बीच हुए अभिसमय के अनुच्छेद 26 के लागू होने की रीति के रूप में कर संग्रहण में सहायता के लिए समझौता जापान, जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपबंध में प्रदर्शित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त जापान कहा गया है), पर तारीख 30 जून, 2025 को टोक्यो में और तारीख 8 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि उक्त जापान का पैरा 21 यह उपबंध करता है कि उक्त जापान के उपबंध दो सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किए गए हस्ताक्षर की तारीखों की बाद वाली तारीख के पश्चात् किए गए कर संग्रहण के लिए किसी आवेदन के संबंध में लागू होंगे;

और जबकि उक्त जापान के प्रवृत्त होने की तारीख भारत में हस्ताक्षर की तारीख है, जो दो सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किए गए हस्ताक्षर की तारीखों की बाद वाली तारीख है, अर्थात् तारीख 8 जुलाई, 2025। उक्त जापान 8 जुलाई, 2025 के पश्चात् कर संग्रहण के लिए किसी आवेदन के संबंध में प्रभावी होगा;

अतः अब, केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि इसके साथ उपाबंध में यथाप्रदर्शित उक्त समझौता ज्ञापन के उपबंधों को भारत संघ के संबंध में प्रभावी किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 56/2026 फा.सं. 500/22/2022-एफटी&टीआर-V]

भास्कर गोस्वामी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd April, 2026

**(Income-Tax)**

**S.O. 1715(E).**—Whereas, the Memorandum of Understanding for Assistance in Collection of taxes, as the Mode of Application of Article 26A of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, was signed at Tokyo on the 30<sup>th</sup> June, 2025 and at New Delhi on the 8<sup>th</sup> July, 2025 as set out in the Annexure appended to this notification (hereinafter referred to as the said Memorandum);

And whereas, paragraph 21 of the said Memorandum provides that the provisions of the said Memorandum shall apply in respect of any request for collection of taxes made after the later of the dates of signature by two competent authorities;

And whereas, the date of entry into force of the said Memorandum being the date of signature in India, which is the later of the dates of signature of the two competent authorities, that is, the 8<sup>th</sup> day of July, 2025, the said Memorandum shall have effect in India in respect of any request for collection of taxes made after the 8<sup>th</sup> July, 2025;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said Memorandum of Understanding as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India.

[Notification No. 56/2026 F. No. 500/22/2022-FT&TR-V]

BHASKAR GOSWAMI, Jt. Secy.